

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

जिसे दिनांक २५/११/२०१८ उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

धारा २५१ (क)

प्रसंग

६७/१८

किस्म

३०-५३

२०१८ बाद जाँच क्रम/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक १९.५.२०१८ को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

३-५/१८ पत्रावली द्वारा लोड डेटा का जमा होना जो भीलवाडा पर पेश है।

प्राथमिक विपक्षीगणों के नोटिफिकेशन का डेटा जमा होना/किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है। प्राथमिक क्र. २ उपखण्ड/प्रिपत्री क्र. १९२ उपखण्ड नहीं। तदनुसार भीलवाडा के शर्तों का कानून मिला रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें शामिल पत्रावली भी जमा। प्राप्त मिला रिपोर्ट पर प्राथमिक क्र. २ के कहे क्वेरी जारी। कहे के दौरान प्राप्त जो भी रिपोर्ट डेटा कहे प्राथमिक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का वास्ते दिनांक जमा की इन्फार्मेशन की।

जिसमें पत्रावली का इन्फार्मेशन दिया गया कहे पर मिला दिया गया। प्राथमिक के शर्तों का कानून भी जमा की जाऊँ कुम्हारिया पत्रावली द्वारा जो भी तदनुसार जिला भीलवाडा में किया होकर प्राथमिकों के मिला कहे रिपोर्ट की नकल कम्प्लेक्स २०६९ के २०७२ के होती है। जहाँ प्राथमिकों/प्रिपत्री क्र. १ के शर्तों का कानून भी जमा की जाऊँ कहे क्र. ८६३/३५२ इन्फार्मेशन/प्रिपत्री के कहे वास्ते प्राथमिकों द्वारा मिला कहे प्राथमिकों जमा कहे कहे के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का वास्ते दिनांक जमा की इन्फार्मेशन की।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा (स.न.)

विद्यमान है जिसकी तारीख प्रस्ताव राजस्व अधिकारी को
 की तारीख 2069 से 2072 अथवा तदनुसार की
 देनी है। पक्वारी हस्ता व अधिकारी निरीक्षण की रिपोर्ट
 के अनुसार ही प्राचीनता के दावे को स्वीकार किया जा
 होगा। प्रस्ताव के अन्तर्गत करम तथा निरवकाश का दावा
 द्वारा नं. 863/352 के द्वारा किया गया है जिसकी तारीख
 प्रस्ताव परीक्षा की रिपोर्ट में नज़र नहीं आती है।
 1 बीघा 14 बिसवा के 02 बिसवा की रासना हेतु जोर दावे के
 उक्त दावे के अन्तर्गत ही जोर दावे के अन्तर्गत रासना के दावे
 को स्वीकार किया जायेगा। प्राचीनता के दावे द्वारा दावा
 न-व जोर दावा, करम व निरवकाश दावा नहीं है। रासना
 को प्राप्त नज़ारी के अन्तर्गत जायेगा।

उपरोक्त विवेचन के अन्तर्गत प्राचीनता द्वारा दावे
 प्राचीनता पर ही किन्हीं दावे के अन्तर्गत दावे
 प्राचीनता पर स्वीकार किया जाना उचित समझाई है-रा.

०० दावे नं ००

प्राचीनता का प्राचीनता पर दावा 25th Act का अन्तर्गत
 किया जाकर उक्त कुम्हारिया पक्व हस्ता जोली तदनुसार
 जिला सीलपाड़ा में स्थित हस्त द्वारा नं 35211, 35211
 कुम दिना 2 रखा। बीघा 14 बिसवा के दावे - जोर हेतु उक्त
 करम व निरवकाश मांग हेतु द्वारा नं 863/352 रखा
 1 बीघा 14 बिसवा के दावे के अन्तर्गत 20 फीट की
 वाले रासना के दावे वाली मांग 02 बिसवा की
 का अन्तर्गत दावा दावे हुए दावे का अन्तर्गत निरवकाश
 D.L.C. दर का उक्त निरवकाश कर। निरवकाश के
 तदन दावे वाली रासना प्राचीनता के दावा अन्तर्गत
 किपरी के। जो जरीय D.D. या नरक द्वारा दावा
 कर। द्वारा दावा प्राचीनता पर 02 बिसवा दावे
 किपरी के 2 के दावे के अन्तर्गत दावे दावे
 दावे जाके। पालन हेतु तदनुसार सीलपाड़ा
 जाके। गडावली के दावा अन्तर्गत की जाकर दावा

अधिकारी

रिपोर्ट का

प्रमाण संख्या 65

30

डी. व. लाल मुखर्जी


पारा 25

महोदय,

प्राचीनता

रिपोर्ट देखें

- 1) ग्राम कुम्हारिया की न
 दर-दावे कि जोली दावा
 के के अन्तर्गत प्राचीनता के
- 2) ग्राम कुम्हारिया व
 का दावा दावा दावा
 अन्तर्गत के रहे
- 3) दावे द्वारा दावे



- 4) दावे द्वारा 20 फीट
 1.14 फीट 0.02
- 5) दावे द्वारा दावा दावा
 रिपट